

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ~~चिरवाली~~
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान.....~~उज्जैन~~.....

-:आदेश:-

~~श्री~~ प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~उज्जैन~~ व भूअ.नि.
की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार ~~सतलुआ~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अभिनियम 1956 की धारा 136 के अन्वय में ग्राम ~~उज्जैन~~ तहसील ~~चिरवाली~~ जिला
~~उज्जैन~~ की जमावन्दी सम्बन्ध ~~2075-2078~~ में खाता संख्या ~~371~~ में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	उज्जैन	37	रामजी पुत्र गान्ध	रामजी पुत्र गान्ध

~~चिरवाली~~
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

कमांक :- 296-298

दिनांक :- 16-11-2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, ~~चिरवाली~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ~~रामजी पुत्र गान्ध~~ को सूचनायें।
3. रक्षित पत्रावली।

~~चिरवाली~~
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर